रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 1972/पौष 13, 1893
No. 8] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 1972/PAUSA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

FOREIGN TRAVEL TAX

New Delhi, the 3rd January 1972

G.S.R. 11(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 5-FTT, dated the 1st October, 1971, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, in column (3) against serial No. 4 the words "by a ship or aircraft operated by the carrier and" shall be omitted.

[No. 1/FTT/72-F. No. 30/1/71(FTT)/CX.9.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

विदेश यात्रा कर

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 11(अ)—वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना समाधान हो जाने

पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 अक्तूबर, 1971 की अधिसूचना सं० 5-वि० या० क० में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 4 के सामने के स्तम्भ (3) में "कैरियर द्वारा प्रचालित किसी पोत या वायुयान द्वारा और" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

[सं० 1-वि० या० क०/72/फ़० स० 306/1/71 (वि० या० क०)/सी० एक्स०-9]

G.S.R. 12(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the categories of passengers specified in column (2) of the Schedule hereto annexed, from so much of the foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 45 of the said Act as is in excess of the amount specified in column (3) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Category of passengers	Amount of tax
(1)	(2)	(3)
1.	Airline employees (including officials) and famil es of such employees performing an international journey by economy class in an aircraft on tickets issued by the employer as part of the service conditions of such employees, on payment of a parcentage of the normal fare for such journey.	Tax leviable on the amount of fare paid.
2.	Airline employees (including officials) and families of such employees reperforming an international journey by first class in an aircraft on a free ticket issued for such class by the employer as part of the service conditions of such employees.	An amount which represents the difference between the normal tax payable for that journey by first class and that payable for the same journey by economy class.
3.	Airline employees (including officials) and families of such employees performing an international journey by first class in an aircraft on tickets issued for such class by the employer as part of the service conditions of such employees on payment of a percentage of the normal fare for such journey.	An amount which represents the difference between the normal tax payable for that journey by first class and that payable for the same journey by economy class plus 15 per cent of the amount of fare paid.
4.	Passengers travelling by first class in an aircraft on its inaugural flight on a free ticket issued by the carrier.	An amount which represents the difference between the normal tax payable for that journey by first class and that payable for the same journey by economy class.

[No. 2-FTT/72-F. No. 306/1/71 (FTT)/CX.9.]

R. K. THAWANI,
Under Secy.

सा० का० नि० 12(अ)—वित्त (सं०2) अधिनियम 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपना समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यात्रियों के प्रवर्गों को, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन उदग्रहणीय उतने विदेश यात्रा-कर से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रकम के अधिक है।

अनुसूची

क्र० सं०	यात्रियों के प्रवर्ग	कर की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे एयरलाइन कर्मचारी (जिनके अन्तर्गत पद-धारी भी है) और ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब, जो ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के भाग के रूप में नियोजक द्वारा, ऐसी यात्रा के लिए प्रसामान्य यात्री-भाड़े के कुछ प्रतिशत का संदाय करने पर, जारी की गई टिकटों पर किसी वायुयान द्वारा मितव्ययी श्रेणी में कोई अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हों।	संदत्त यात्री-भाड़े की रकम पर उद्ग्रहणीय कर।
2.	ऐसे एयरलाइन कर्मचारी (जिनके अन्तर्गत पद-धारी भी है) और ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब, जो ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के भाग के रूप में नियोजक द्वारा ऐसी श्रेणी के लिए जारी की गई निःशुल्क टिकट पर किसी वायुयान द्वारा प्रथम श्रेणी में कोई अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हों।	ऐसी रकम जो प्रथम श्रेणी द्वारा उस यात्रा के लिए संदेय प्रसामान्य कर और मितव्ययी श्रेणी द्वारा उसी यात्रा के लिए संदेय कर के बीच का अन्तर है।
3.	ऐसे एयरलाइन कर्मचारी (जिनके अन्तर्गत पद-धारी भी हैं) और ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब, जो ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के भाग के रूप में नियोजक द्वारा ऐसी यात्रा के लिए प्रसामान्य यात्री-भाड़े के कुछ प्रतिशत का संदाय करने पर, ऐसी श्रेणी के लिए जारी की गई टिकटों पर किसी वायुयान द्वारा प्रथम श्रेणी में कोई अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हों।	ऐसी रकम जो प्रथम श्रेणी द्वारा उस यात्रा के लिए संदेय प्रसामान्य कर और मितव्ययी श्रेणी द्वारा उसी यात्रा के लिए संदेय कर के बीच का अन्तर है धन [illegible] यात्री भाड़े की [illegible] प्रतिशत।

4.	ऐसे यात्री, जो कैरियर द्वारा जारी की गई निःशुल्क टिकट पर किसी वायुयान द्वारा उसकी उदघाटन उड़ान से प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे हों।	ऐसी रकम जो प्रथम श्रेणी द्वारा उस यात्रा के लिए संदेय प्रसामान्य कर और मितव्ययी श्रेणी द्वारा उसी यात्रा के लिए संदेय कर के बीच का अन्तर है।

[सं० 2-वि०या०क०/72/फा० सं० 306/1/71 (वि०या०क०)/सी एक्स०-9]

आर० के० थवानी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972